संख्या-57/आई/1263388/2026/89-1099/63/2023

प्रेषक,

मनोज वर्मा,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश, शासन।

सेवा में,

निदेशक,
प्रशिक्षण निदेशालय,
उ0प्र0, लखनऊ।

व्यावसायिक शिक्षा, कौशल विकास और उद्यमशीलता अनुभाग लखनऊ :दिनांक: 12 मार्च, 2026

विषय:- **फेज-2 के अन्तर्गत टाटा टेक्नोलाजीज लि0 के सहयोग से प्रदेश के 62 राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में आधुनिक कार्यशाला प्रशिक्षण कक्ष इत्यादि का निर्माण कराये जाने के संबंध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-आई/462265/2026-UPDTE/14/2025 दिनांक 12.02.2026 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- अवगत कराना है कि Tata Technologies Ltd. (TTL) के सहयोग से फेज-2 के अन्तर्गत प्रदेश के 62 राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का उन्नयन किये जाने हेतु प्रत्येक राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में आधुनिक कार्यशाला, प्रशिक्षण कक्ष इत्यादि (Built-up Space) के निर्माण हेतु शासनादेश संख्या-63/आई/2025/915375/001-89-1002/18/2025 दिनांक 24.03.2025, द्वारा मानचित्र-1 व मानचित्र-4 के अनुसार निर्धारित मानकीकृत लागत पर प्रशासकीय एवं वित्तीय अनुमोदन प्रदान करते कुल धनराशि रूपये 25708.06 लाख (रूपये दो अरब सत्तावन करोड़ आठ लाख छ: हजार मात्र) स्वीकृत की गयी है।

3- वित्तीय स्वीकृति विषयक शासनादेश दिनांक 24.03.2025 के शर्त संख्या-7 में निम्न व्यवस्था दी गयी थी:-

निदेशालय के प्रस्ताव में उल्लिखित किये गये संस्थान जहा G+2 (Option-B) का निर्माण होना है, उसके सापेक्ष मानचित्र-4 के मानकीकरण की लागत स्वीकृत की जा रही है। कालान्तर में कार्यदायी संस्था के स्तर से तकनीकी स्वीकृति के निर्गत होने के पश्चात यथा आवश्यकता प्रेषित पुनरीक्षित लागत के परीक्षण के पश्चात पुनरीक्षित लागत की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत करते हुये अन्तर की धनराशि या तो प्रदान की जा सकती है अथवा वापस ली जा सकती है।

4- उक्त व्यवस्था के क्रम में निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराये गये मॉडल आगणन का शासन स्तर पर गठित मूल्यांकन समिति से मूल्यांकन कराये जाने के पश्चात शासनादेश संख्या-108/आई/1009812/2025/89-1002/18/2025 दिनांक 01.07.2025 द्वारा फेज-2 के अन्तर्गत 62 आई0टी0आई0 का उन्नयन हेतु चयनित राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में आधुनिक कार्यशाला, प्रशिक्षण कक्ष इत्यादि (Built-up Space) के निर्माण हेतु शासनादेश दिनांक 24.03.2025 द्वारा मानचित्र-1 की मूल्यांकित लागत रूपये 354.65 लाख को पुनरीक्षित करते हुये मूल्यांकित लागत रूपये 380.29 लाख तथा मानचित्र-4 के स्थान पर नये मानकीकृत मानचित्र G+2 (Option-B) का निर्धारण करते हुये मानचित्र G+2

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in

(Option-B) की मूल्यांकित लागत रूपये 382.50 लाख पर प्रशासकीय एवं वित्तीय अनुमोदन प्रदान की गयी है।

5- निदेशक प्रशिक्षण निदेशालय,उ0प्र0, लखनऊ द्वारा राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, मोतिहारी-बांदा में काली कपास मृदा संबंधी अतिरिक्त कार्य होने कारण संबंधित कार्यदायी संस्था द्वारा उपलब्ध कराये गये पुनरीक्षित आगणन को लोक निर्माण विभाग से मूल्यांकित कराते हुये प्रशासकीय एवं वित्तीय अनुमोदन की धनराशि को पुनरीक्षित किये जाने का प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है।

6- अतएव इस संबंध में सम्यक विचारोपरान्त मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्यपाल महोदया निम्न विवरण के अनुसार राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, मोतिहारी-बांदा में काली कपास मृदा संबंधी अतिरिक्त कार्य होने कारण स्तम्भ-6 में अंकित धनराशि पर प्रशासकीय एवं वित्तीय अनुमोदन शासनादेश दिनांक 24.03.2025 एवं शासनादेश दिनांक 01.07.2025 मे उल्लिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धो सहित निम्न शर्तो के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती है:-

क्र सं	राजकीय आई0 टी0 आई0 का नाम	शासनादेश दिनांक 01.07.2025 द्वारा निर्धारित मानचित्र	शासनादेश दिनांक 01.07.2025 द्वारा प्रदान की गयी प्रशासकीय एवं वित्तीय अनुमोदन की धनराशि	लोक निर्माण विभाग द्वारा काली कपास मृदा संबंधी अतिरिक्त कार्य सहित निर्माण कार्य की मूल्यांकित लागत	पुनरीक्षित मूल्यांकित लागत पर प्रशासकीय एवं वित्तीय अनुमोदन की धनराशि	कार्यदायी संस्था का नाम
1	2	3	4	5	6	7
1	मोतिहारी-बांदा	मानचित्र G+2 (Option B)	382.50	402.60	402.60	यू0पी0पी0सी0एल0

1. प्राविधानित मदों को, यथावत मानते हुए आगणन का परीक्षण किया गया है।
2. क्रियान्ययन से पूर्व कार्यदायी संस्था द्वारा इन कार्यों हेतु प्रतिस्पार्धात्मक आधार पर दरे प्राप्त कर निर्माण कार्य सुसंगत वित्तीय नियमों के आधार पर किया जाये।
3. परियोजना में18 प्रतिशत जी०एस०टी० का प्रावधान किया गया है जो नियमानुसार देय होगा।
4. परियोजना में 10 प्रतिशत सेन्टेज का प्रावधान किया गया है जो नियमानुसार देय होगा।
5. लेबर सेस नियमानुसार देय होगा।
6. परियोजना में विभागीय दक्षता हेतु 5 प्रतिशत कम कर दिया गया है।
7. कार्यालय प्रमुख अभियन्ता,उ0प्र0 लो०नि०वि० (भवन वर्ग) लखनऊ के कार्यालय ज्ञाप सं०- 249 कैम्प/ मुख्य अभियंता (भवन) 2025 दिनांक 11.07.2025 के अनुसार आगणन में पिलिंथ एरिया/डी०एस०आर० (2023) की दरों में Price Escalation हेतु 3% वृद्धि का प्रावधान किया गया है।
8. कार्यों में प्रयुक्त डिजाइन, सामग्री आदि हेतु कार्यदायी संस्था स्वयं उत्तरदायी होगी।

7- कृपया तदनुसार अग्रेतर आवश्यक कार्यवाही कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
मनोज वर्मा
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

संख्या एवं दिनॉंक तदैव,

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
2. महालेखाकार(लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
3. जिलाधिकारी, बांदा।
4. वरिष्ठ कोषाधिकारी ,जवाहर भवन लखनऊ ।
5. प्रबंध निदेशक, संबंधित नामित कार्यदायी संस्था, लखनऊ।
6. वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-11/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2।
7. वित्त नियंत्रक, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन,उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
8. प्रधानाचार्य, राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, मोतिहारी-बांदा ।
9. निदेशक, वित्तीय एवं सांख्यकीय निदेशालय, उत्तर प्रदेश, 125 जवाहर भवन,लखनऊ।
10. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
मनोज वर्मा
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।